बाजार से गायब हो रही हैं गर्भपात की गोलियां, सुरक्षित गर्भपात पर बढ़ रहा है खतरा : प्रतिज्ञा कैंपेन के अध्ययन में सामने आई यह बात

प्रतिज्ञा कैंपेन फॉर जेंडर इक्वैलिटी एंड सेफ एबॉर्शन ने चार भारतीय राज्यों के बाजारों में गर्भपात दवाओं की उपलब्धता पर किया यह अध्ययन

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2019: प्रतिज्ञा कैंपेन फॉर जेंडर इक्वैलिटी एंड सेफ एबॉर्शन (लैंगिक समानता और सुरक्षित गर्भपात के लिए प्रतिज्ञा अभियान) द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि गर्भपात (मेडिकल अबॉर्शन) दवाएं बाजारों से तेजी से गायब हो रही हैं। ' चार भारतीय राज्यों में गर्भपात दवाओं की उपलब्धता' नामक इस अध्ययन में पाया गया कि राजस्थान और महाराष्ट्र के केमिस्ट अब गर्भपात दवाओं को स्टॉक नहीं कर रहे हैं और बिहार में केवल 37.8% व उत्तर प्रदेश में 66% केमिस्ट ही इन दवाओं को स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉक न करने वालों ने इसके पीछे कानूनी/नियामक अड़चनों को मुख्य वजह बताया है। गर्भपात दवाओं की अनुपलब्धता से महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भपात की सुलभता खटाई में पड़ रही है, खासकर जब आज भी भारत में अनुमानत: 10 महिलाओं की मौत असुरक्षित गर्भपात के कारण होती है जोकि देश में मातृत्व मृत्यु दर का तीसरा प्रमुख कारण है। यह अध्ययन बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1008 केमिस्ट के बीच किया गया।

सुरक्षित, प्रभावी और सुलभ अबॉर्शन सेवाओं का प्रावधान जिसमें गर्भपात दवायें भी शामिल हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं प्रजननअधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक प्राथमिकता है। बड़ी संख्या में महिलायें गर्भपात दवाओं का उपयोग करती हैं और अनुमानों के अनुसार, हर साल कराये जाने वाले 1.56 करोड़ गर्भपातों में से 81% गर्भपात की दवाओं (मिफेप्रिस्टोन एवं माइसोप्रोस्टॉल) के उपयोग से किए जाते हैं। बावजूद इसके ऐसा प्रतीत होता है कि गर्भपात की दवाएं दवा दुकानदारों की अलमारियों से गायब होने लगी हैं।

अध्ययन से पता चला कि राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में गर्भपात दवाओं का स्टॉक नहीं करने वाले केमिस्ट के लिए नियामक/कानूनी अड़चनें इसका प्राथमिक कारण हैं। बिहार ही एकमात्र राज्य था, जहां कम मांग को इसका कारण बताया गया। कुछ केमिस्ट को अनौपचारिक रूप से कहा गया है कि वे गर्भपात दवाएं न बेचें। इसके अलावा नियामक अधिकारियों द्वारा खासतौर पर गर्भपात दवाओं की जांच के लिए दौरे किए गए हैं। गर्भपात दवाओं से संबंधित विशिष्ट दौरे राजस्थान (14.3%) और महाराष्ट्र (17.4%) में उच्च स्तर पर थे। **56% दवा दुकानदारों ने बताया कि शेड्यूल एच की अन्य दवाओं के मुकाबले गर्भपात दवाओं पर अधिक नियमन हैं।**

रिपोर्ट जारी किए जाने के मौके पर **श्री वी.एस चंद्रशेखर, प्रतिज्ञा कैंपेन सलाहकार समूह के सदस्य और फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज इंडिया के सीईओ** ने कहा, "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पिछले डेढ़ दशक में उठाए गए सक्रिय कदमों की बदौलत भारत ने सुरक्षित गर्भपात की सेवाएं उपलब्ध कराने और बेहतर बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। गर्भपात दवाओं, विशेष रूप से कॉम्बी पैक की उपलब्धता ने असुरक्षित गर्भपात की संख्या घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गर्भपात दवाओं की अनुपलब्धता पिछले कुछ वष में हासिल की गई इस बढ़त को उलट सकती है।"

अध्ययन में गर्भपातों और गर्भपात दवाओं के बारे में केमिस्ट की जागरूकता, ज्ञान और रवैए का पता लगाने की कोशिश की गई। 43% केमिस्ट का ख्याल था कि गर्भपात गैरकानूनी हैं; और केवल 26% ही जानते थे कि यह 20 सप्ताह की गर्भावस्था तक वैध है। राजस्थान में तो 60.7% केमिस्ट ने कहा कि गर्भपात अवैध हैं, इसके बाद ऐसा कहने वालों की बड़ी संख्या बिहार (51.8%) में थी। 15% को लगता था कि कॉम्बिपैक गर्भपात दवाओं की उपलब्धता लैंगिक भेदभाव आधारित चयन में योगदान करती है। महाराष्ट्र में ऐसा मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा (42.5%) रही। प्रतिज्ञा कैंपेन सलाहकार समूह की सदस्य और फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की महासचिव डॉ. कल्पना आप्टे बताती हैं, "यह एक गलत धारणा है, क्योंकि केवल नौ सप्ताह तक के गर्भ के लिए ही कॉम्बिपैक गर्भपात की गोलियो का प्रयोग करने की मंजूरी मिली है और भ्रूण के लिंग की पहचान के लिए आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली और सस्ती तकनीक अल्ट्रा सोनोग्राफी के उपयोग से 13-14 सप्ताह के आसपास के ही गर्भ के लिंग का पता लगा सकती है।" उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि इस गलत धारणा के कारण ही गर्भपात दवाओं पर बहुत अधिक नियमन लादे गए हैं। इसके चलते गर्भावस्था को समाप्त करने वाली सुरक्षित, सरल और किफायती मेथड की उपलब्धता काफी हद तक प्रभावित हो रही है, जिससे भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य, कल्याण और प्रजनन अधिकारों से समझौता करना पड़ रहा है।"

अध्ययन में यह आकलन किया गया है कि वास्तव में गर्भपात दवाएं खरीदने वाली महज 9.6% महिलाएं ही जटिलताओं के प्रबंधन या गर्भपात के बाद गर्भनिरोधक के बारे में सलाह लेने के लिए केमिस्ट के पास वापस आती हैं। यह बताता है कि केमिस्ट से गर्भपात दवायें खरीदने वाली अधिकतर महिलाओं के लिए यह दवायें प्रभावी नजर आती हैं। वहीं यह भी प्रतीत होता है कि जटिलताओं का सामना करने वाली महिलाएं स्वास्थ्य सुविधाओं से देखभाल की तलाश करती हैं। जिन दवा विक्रेताओं के पास कथित जटिलताओं के साथ ग्राहक आए, उनमें से लगभग सभी ने उन महिलाओं को डॉक्टर के पास भेज दिया। यह रवैया सराहनीय है। यह आम धारणा है कि गर्भपात दवायें महिलायें बिना डॉक्टर की पर्ची के खरीदती हैं, लेकिन अध्ययन के निष्कष से पता चलता है कि 50% खरीदार प्रिस्क्रिप्शन के साथ आए थे। वी.एस. चंद्रशेखर कहते हैं, "सभी एलोपैथिक डॉक्टरों को गर्भपात दवाएं लिखने की अनुमति मिलने से गर्भपात दवायें चाहने वाली महिलाओं के लिए निश्चित तौर पर प्रेस्क्रिप्शन एवं मेडिकल सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी। जैसा कि अभी कानून और नियम हैं, केवल प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ और एमटीपी अधिनियम के तहत अनुमोदित गर्भपात प्रदाता एलोपैथिक डॉक्टर ही गर्भपात दवाएं लिख सकते हैं। अनुमान है कि भारत में सिर्फ 60,000-70,000

डॉक्टर ही गर्भपात दवाएं लिख सकते हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या शहरी क्षेत्रों में है। यह भारत जैसे बड़े देश के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है।"

देश में हर साल होने वाले गर्भपातों की अनुमानित संख्या को देखते हुए यह आशंका है कि अगर दवा विक्रेता गर्भपात दवाओं को स्टॉक करना बंद कर देते हैं, तो ऐसी दवाओं की बिक्री के लिए एक दूसरा बाजार उभर सकता है, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं और महिलाओं के लिए गर्भपात के मनचाहे तरीके का उपयोग करने की राह में आर्थिक अड़चनें पैदा हो सकती हैं।

गर्भपात दवाएं सुरक्षित हैं और अगर इनका गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है, तब भी कोई आपातकालीन स्थिति बनने या महिला के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ने की आशंका नहीं होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में प्रकाशित अपनी अत्यावश्यक दवाओं की सूची में गर्भपात दवाओं के कॉम्बिपैक को मुख्य सूची में शामिल किया है, जो कि पहले कॉम्प्लीमेंट्री सूची का हिस्सा था। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली सूची में गर्भपात दवाओं के सामने एक तारांकन (*) हुआ करता था, जो दर्शाता था कि गर्भपात दवाओं को करीबी चिकित्सीय पर्यवेक्षण की जरूरत होती है। इस बार की सूची में यह शामिल नहीं है। *डॉ. आप्टे कहती हैं,* "इस तारांकन को हटाने का अर्थ यह हुआ कि गर्भपात कॉम्बिपैक्स का उपयोग करीबी चिकित्सीय पर्यवेक्षण के बगैर भी किया जा सकता है और इससे जुड़े जोखिम न्यूनतम हैं।"

यह अध्ययन साफ तौर पर इंगित करता है कि गर्भपात दवाएं औषधि नियंत्रण अधिकारियों की व्यापक जांच-पड़ताल और छानबीन के दायरे में हैं और रिटेल केमिस्ट दुकानों में उनकी गैर-उपलब्धता महाराष्ट्र व राजस्थान में चिंता का एक प्रमुख कारण है। गर्भपात दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिज्ञा कैंपेन ने सिफारिश की है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत के औषधि महानियंत्रक को सभी राज्य औषधि नियंत्रकों को एक एडवाइजरी/गाइडेंस भेजना चाहिए, जिसमें स्पष्ट किया गया हो कि कॉम्बिपैक पर कड़ी कार्रवाई से लिंग चयन पर अंकुश लगाने में मदद नहीं मिलती है और यह भी कि गर्भपात दवाओं को शेड्यूल एच की अन्य दवाओं के समान ही मानकों / जांच-परख के अधीन किया जाना चाहिए। दूसरी बात, गर्भावस्था की किस अवधि तक गर्भपात दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे लेकर एमटीपी के नियमों और भारत के औषधि महानियंत्रक की मंजूरी में असंगतता है (नियम कहते हैं सात सप्ताह, जबकि भारत के औषधि महानियंत्रक का अनुमोदन नौ सप्ताह के लिए है)। इसे सुसंगत बनाए जाने की जरूरत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/ भारत के औषधि महानियंत्रक को विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों के अनुरूप गर्भपात दवाओं के इस्तेमाल की सीमा को बढ़ाकर 12 सप्ताह तक करने पर विचार करना चाहिए। एमटीपी नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए कि सभी एलोपैथिक डॉक्टरों को गर्भपात दवायें (छोटा ऑन्लाइन/प्रत्यक्ष कोर्स करने के बाद) लिखने की अनुमति दी जाए। उन डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए जोकि गर्भपात दवायें प्रेस्क्राइब कर सकते हैं और महिलाओं को गर्भपात दवायें इस्तेमाल करने के दौरान मेडिकल सपोर्ट दिया जा पाए। इसके अलावा, सरकार को गर्भपात दवा की मार्केटिंग करने वाली कंपनियों और केमिस्ट्स व ड्रगिस्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर गर्भपात और

गर्भपात दवाओं के बारे में खुदरा दवा दुकानदारों का ज्ञान बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि वे महिलाओं को सही जानकारी प्रदान करें।

बड़ी संख्या में महिलाएं अवांछित गर्भ से मुक्ति के लिए गर्भपात दवाओं को प्रभावी, किफायती और सुविधाजनक मानती हैं और एमटीपी अधिनियम की ओर से मंजूर संकेतों के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं। ज्यादा जांच-पड़ताल और छानबीन के चलते गर्भपात दवाएं दवा विक्रेताओं की अलमारियों से गायब हो रही हैं। इसके नतीजे में लाखों महिलाएं जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता से वंचित हो रही हैं और उन्हें अपने यौनिक तथा प्रजनन अधिकारों के प्रयोग के मामले में समझौता करना पड़ रहा है। सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच मिलने से महिलाएं अपने स्वयं के शरीर और जीवन पर नियंत्रण कर सकेंगी, जो प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों और लैंगिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा।

विस्तृत अध्ययन का लिंक: https://bit.ly/2Ht7k3C

प्रतिज्ञा कैंपेन फॉर जेंडर इक्वैलिटी एंड सेफ एबॉर्शन के विषय में: प्रतिज्ञा कैंपेन फॉर जेंडर इक्वैलिटी एंड सेफ एबॉर्शन (लैंगिक समानता और सुरक्षित गर्भपात के लिए प्रतिज्ञा अभियान) भारत में महिला अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने तथा सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक उनकी आसान पहुंच के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों का एक नेटवर्क है। यह अभियान राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकारों, संगठनों और मीडिया के साथ मिलकर महिलाओं के सशक्तीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच के मुद्दों का समर्थन करता है। फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज इंडिया सचिवालय का संचालन करता है और एक समर्पित आठ-सदस्यीय अभियान सलाहकार समूह गठबंधन और इसके सहयोगी प्रयासों के बारे में रणनीतिक दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करता है। अभियान चार विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है: क) गर्भपात सेवाएं उपलब्ध कराने वालों को सहारा और सहयोग प्रदान करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे निरंतर गर्भपात सेवाएं देते रहें। ख) बाजारों में गर्भपात दवाओं की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना और चिकित्सीय सुविधा से परे, गर्भपात दवाओं का सहारा लेने वाली महिलाओं को सहारा और जानकारी देना। ग) कानूनी परिदृश्य को समझना एवं उसके साथ जुड़ाव बनाना, खासतौर से अबॉर्शन संबंधित मामलों में। घ) अभियान के सामूहिक स्वर को तीव्रता देने के लिए संगठनों और व्यक्तियों के साथ मजबूत गठजोड़ बनाना।

अधिक जानकारी के लिए विजिट करें: www.pratigyacampaign.org

प्रतिज्ञा कैंपेन का सचिवालय विस्तृत जानकारी के लिए अध्ययन वाले राज्यों में लोगों के साथ आपका संपर्क कराने में सक्षम है। किसी भी तरह की अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

देबांजना चौधरी
सीनियर मैनेजर- पार्टनरशिप्स

कावेरी सिंह
सीनियर मैनेजर

प्रतिज्ञा कैंपेन सचिवालय
debanjana.choudhuri@frhsi.org.in
8447084563

एमएसएल इंडिया
kaveri.singh@mslgroup.com
9871030182